**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्या 274\***

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्‍गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**दिल्ली विमानपत्तन पर अवैध टैक्सी/ऑटो दलाल**

**\*274. डा॰ अनिल कुमार साहनीः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या दिल्ली में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और उन्हें अवैध टैक्सी/ऑटो दलालों द्वारा लूटा जा रहा है;**

**(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) सरकार द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा, संरक्षा और दलालों द्वारा उनके उत्पीड़न को रोके जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और**

**(घ) देश में सभी प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में ‘पर्यटक पुलिस’ की तैनाती किए जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

-2-

दिनांक 21.03.2018 के तारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क)एवं (ख): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष (28.02.2018 तक) के दौरान “दिल्ली पर्यटक दलाली एवं कदाचार निवारण अधिनियम 2010” के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों और गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों का ब्योरा निम्नानुसार है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष  | पंजीकृत मामलों की संख्या  | गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या  |
| 2015  | 89 | 97 |
| 2016 | 71 | 86 |
| 2017 | 81 | 91 |
| (28.02.2018 तक)  |  |  |

(ग) : दलालों से पर्यटकों की रक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने, अन्य बातों के साथ साथ, आगमन एवं प्रस्थान दोनों क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने, हेल्पडेस्क की स्थापना करने, दलालों पर गुप्त रूप से नजर रखने, कानून के अनुसार दलालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करने सहित विभिन्न कदम उठाये गए हैं। यात्रियों को सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डी आई ए एल) द्वारा किये गए उपायों में विमानपत्तन पर सूचना डेस्क की स्थापना, प्री-पेड टैक्सी काउंटर और मेट्रो संपर्क के लिए यात्री मार्ग-दर्शक संकेत चिन्ह लगाना और टर्मिनल से सार्वजानिक परिवहन केंद्र तक आने जाने के लिए मेट्रो एवं शटल संपर्क सेवा प्रदान करना शामिल हैं .

-3-

राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 274

(घ): पर्यटन मंत्रालय ने सूचित किया है कि 14 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों नामतः दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात किये हैं . दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की सुरक्षा एवं सरंक्षा के लिए पर्यटक स्थलों पर चौबीसों घंटे पर्यटक पुलिस के रूप में 10 पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) वाहन तैनात किये गए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को मार्गदर्शन/सहायता प्रदान करने के लिए इन पीसीआर वाहनों में सशस्त्र पुलिस कार्मिक तैनात किये गए हैं और उन्हें दिल्ली के मानचित्र, आपात सेवाओं एवं टेलीफोन नंबरों तथा अन्य पर्यटक सम्बन्धी साहित्य से सुसज्जित किया गया है .

------------